BILL NO. 03 OF 2015

The Delhi Value Added Tax (Ist Amendment) Bill, 2015

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 24th March, 2015)

L.R. GARG
Secretary
Delhi Legislative Assembly
OLD Sectt. Delhi-110054

BILL NO.03 OF 2015

THE DELHI VALUE ADDED TAX (Ist AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (3 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**- (i) This Bill may be called the Delhi Value Added Tax (Ist Amendment) Bill, 2015.

(ii) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(iii) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. **Amendment of section 11-** In the principal Act, in section 11, in sub-section (2), for the clause (b) and the explanations appended thereto, the following clause and explanations shall be substituted, namely:-

> "(b) be entitled to carry forward the amount remaining after application under sub-section (2)(a) to next calendar month or tax period, as the case may be, or to claim a refund of the amount remaining after application under sub-section (2)(a) at the end of a tax period and the Commissioner shall deal with the refund claim in the manner described in section 38 and section 39 of this Act.
>
> *Explanation-1.* Refund can be claimed at the end of a tax period only.
>
> *Explanation-2.* Excess payment made inadvertently shall also be treated as credit in a month or tax period as the case may be".

DVS

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Value Added Tax (Ist Amendment) Bill, 2015 does not involve any additional financial implications since no outgo on new posts is anticipated from the Consolidation Fund of the National Capital Territory of Delhi.

DVS

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Value Added Tax (Ist Amendment) Bill, 2015 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation

DVS

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amendment of Section 11 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 is proposed to afford facility to the dealer to carry forward the excess tax credit to next financial year to adjust his output tax liability in that year.

The Bills seek to achieve the aforesaid objectives.

(MANISH SISODIA)

DEPUTY CHIEF MINISTER / FINANCE MINISTER

MANISH SISODIA
DEPUTY CHIEF MINISTER
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI SECRETARIAT,
I.P. ESTATE, NEW DELHI

DVS

विधेयक संख्या (03) 2015

दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 24 मार्च, 2015 को पुरःस्थापित किया गया)

एल. आर. गर्ग
सचिव
दिल्ली विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

2015 का विधेयक संख्या—03

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2015

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का 03) का पुनः संशोधन करने के लिये

एक

विधेयक

यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा भारतीय गणराज्य के 66वें वर्ष में निम्नप्रकार अधिनियमित किया जाए :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ .**— (1) इस विधेयक को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा।

शर्त यह है कि इस अधिनियम के भिन्न—भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न—भिन्न तिथियां नियत की जा सकेंगी।

2. **धारा 11 का संशोधन .**— मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ख) तथा इससे जुड़ी व्याख्यों के स्थान पर निम्नलिखित खंड और व्याख्याएं प्रतिस्थापित की जायेंगी।

"(ख) उपधारा (2)(क) के अन्तर्गत आवेदन के पश्चात् शेष राशि आगामी कैलेंडर माह में या कर अवधि में, जैसी भी स्थिति हो, अग्रेषित की जा सकेगी या कर अवधि के उपरान्त उपधारा (2)(क) के अन्तर्गत आवेदन आने के पश्चात् शेष राशि की वापसी का दावा किया जा सकेगा और आयुक्त इस अधिनियम की धारा 38 एवं 39 में निर्धारित पद्धति से धन वापसी के दावे का निपटान करेगा।

व्याख्या—1: केवल कर अवधि के पश्चात् ही धन वापसी का दावा किया जायेगा।

व्याख्या—2: अनजाने में किये गये अधिक भुगतान किसी माह में या कर अवधि, जैसी भी स्थिति हो, क्रेडिट के रूप में माना जायेगा।"

दि.वि.स.

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2015 से किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ता है चूँकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से नये पदों पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा।

दि.वि.स.

<u>प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन</u>

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2015 अधीनस्थ विधान बनाने के लिये किसी पदाधिकारी के पक्ष में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिये प्रावधान नहीं करता है।

दि.वि.स.

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 11 का संशोधन व्यापारी को अधिक कर क्रेडिट उस आगामी वित्तीय वर्ष में, जिसमें उसकी आउटपुट कर देयता समायोजित होनी है, में अग्रसारित करने की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

(मनीष सिसौदिया)
उप–मुख्यमंत्री / वित्त मंत्री

MANISH SISODIA
DEPUTY CHIEF MINISTER
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI SECRETARIAT,
I.P. ESTATE, NEW DELHI

दि.वि.स.